

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी

राकेश कुमार

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

बनाम

अप्रार्थी

अर्जून वगैरह

मुकदमा नं. 193/2024

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
06.02.2025	<p>प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित न्यायालय होकर एक प्रार्थना पत्र प्रकरण हाजा में पक्षकारान् के मध्य में राजीनामा हो जाने से उक्त प्रकरण को आज तारीख पेशी पर लिया जाकर जरिये विड्रॉल खारिज किये जाने हेतु पेश किया। प्रार्थना पत्र पर कार्यालय रिपोर्ट ली गई, कार्यालय रिपोर्ट एवं मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण वर्तमान में अप्रार्थीगण की तलबी व तहसीलदार नावां की मौका रिपोर्ट इन्तजार स्तर पर लम्बित चल रही है। प्रार्थी अधिवक्ता हस्तगत प्रकरण को जरिये विड्रॉल खारिज करवाना चाहते है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है। अतः प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राज.का.अधि. 1955 जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

(जीतू कुमार)
उपखण्ड अधिष्ठाता
नावां (डीडवाना-कुचामन)